

जनपद अल्मोडा**मानसून अवधि के दौरान****आपदा पूर्व-तैयारी, प्रभावी प्रतिवादन एवं राहत प्रबन्धन कार्ययोजना विवरण****मानसून आपदा- जोखिम आंकलन एवं घातकता विश्लेषण**

जनपद में मानसून अवधि के दौरान विभिन्न स्तरों पर किये गये आपदा जोखिम आंकलन में भूस्खलन, बादल फटना, त्वरित बाढ़, सडक दुर्घटना/मार्ग अवरूद्ध, हिमस्खलन, भूकटाव-भूक्षरण आदि घटनाओं को उच्च ग्रेडिंग दी गयी है।

मानसून अवधि में जनपद क्षेत्रान्तर्गत घटित आपदाओं के दौरान त्वरित प्रतिवादन एवं प्रभावी राहत प्रबन्धन-कार्य निर्धारण हेतु आपदा पूर्व-तैयारी, आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा नियंत्रण व्यवस्थाओं का अनुप्रयोग करते हुए जनपद आपदा राहत प्रबन्धन कार्ययोजना निर्माण किया गया है।

जनपद में मानसून आपदाओं की सम्भावना एवं वर्गीकरण:

- जियोर्लॉजिकल: भूस्खलन, भू-धँसाव की वृहत संभावनाये।
- हाइड्रोलॉजिकल: अतिवृष्टि से त्वरित बाढ़, भूकटाव-भूक्षरण, भू-धँसाव की व्यापक स्थितियां।
- क्लाइमैटिक: अतिवृष्टि, बादल फटना, ओलावृष्टि, सूखा।

प्रमुख मानसून आपदाएँ: जोखिम आंकलन एवं घातकता विश्लेषण

आपदा प्रकार	उत्पन्न क्षेत्र	प्रभावित संरचना/सेवाएँ
भूस्खलन	पर्वत शिखर/सिरा, नदी तट/नाला/गधेरा कटाव क्षेत्र, घाटी व तीव्र ढाल युक्त क्षेत्र, पूर्व भू-स्खलन क्षेत्र, अनियोजित विकास/भवन/सडक निर्माण क्षेत्र/मलुवा निस्तारण क्षेत्र, खनन क्षेत्र, अवरूद्ध जल निकासी क्षेत्र	भवन, कृषि/सार्वजनिक भूमि, परिवहन-सडक/पुल/सम्पर्क/पैदल-मार्ग, सिंचाई संरचना, सार्वजनिक सेवाएँ/संरचना, विद्युत व दूरसंचार व्यवस्था, जलापूर्ति, खाद्य व नागरिक आपूर्ति, वन क्षेत्र, लघु व्यवसाय/वागवानी
त्वरित बाढ़	तीव्र ढाल युक्त नदी/नाला/गधेरा मार्ग क्षेत्र, नदी-नाला संगम स्थल, पूर्व भू-स्खलन, अनियोजित मलुवा निस्तारण क्षेत्र	भवन, कृषि/वागवानी/सार्वजनिक भूमि, सार्वजनिक सेवा संरचना, पुल, सम्पर्क मार्ग, वन क्षेत्र
बादल फटना	निकटवर्ती उच्च स्थलीय घने वन क्षेत्र, नदी-नाला तीव्र ढालयुक्त क्षेत्र	भवन, कृषि भूमि, वन क्षेत्र, विद्युत, पेयजल व दूरसंचार व्यवस्था, खाद्य व नागरिक आपूर्ति
भूकटाव/भूक्षरण/भूधँसाव	नदी तट/घाटी क्षेत्र, ढालयुक्त क्षेत्र, नाला/गधेरा कटाव क्षेत्र, पूर्व भू-स्खलन क्षेत्र, जल निकासी क्षेत्र, अनियोजित विकास/भवन/सडक निर्माण क्षेत्र/मलुवा निस्तारण क्षेत्र, खनन क्षेत्र	भवन, कृषि/वागवानी/औद्योगिकी कार्य, सडक/पुल/सम्पर्क मार्ग
हिमस्खलन	हिमक्षेत्र	भवन, तीर्थाटन, पर्यटन
सडक-दुर्घटना/मार्ग अवरूद्ध	समस्त मार्गों पर	परिवहन आवागमन, खाद्य व नागरिक आपूर्ति, पर्यटन, तीर्थाटन, लघु व्यवसाय

मानसून अवधि के दौरान आपदा राहत प्रबन्धन कार्य निर्धारण हेतु प्रशासनिक तैयारियां

1. जिला आपदा प्रबन्धन समिति गठन: मानसून अवधि में जनपद क्षेत्रान्तर्गत व्यापक बहुआपदा घटना प्रवृत्ति को देखते हुए घटित आपदाओं के दौरान त्वरित प्रतिवादन एवं प्रभावी राहत प्रबन्धन कार्य निर्धारण हेतु जिलाधिकारी अल्मोडा की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबन्धन समिति का गठन किया गया है। तहसील/ब्लाक स्तर पर परगनाधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन समिति व हेतु प्रशासनिक आपदा राहतकार्य समितियां बनाई गयी है।
2. आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन कार्ययोजना: जनपद स्तर, समस्त तहसील, विकासखण्ड, प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा विभागीय स्तर पर आपदा पूर्व-तैयारी, न्यूनीकरण एवं राहत प्रबन्धन कार्ययोजना का निर्माण कर आपदा के दौरान कार्ययोजना क्रियान्वयन- प्रभाव विश्लेषण, सुधार तथा कार्य उपयोगिता बढ़ाने हेतु कार्ययोजना का नियमित अवलोकन किया जाता रहा है।

- समस्त तहसील व ग्राम पंचायत आपदा राहत प्रबन्धन कार्ययोजना निर्माण के दौरान आपदा जोखिम आंकलन व घातकता विश्लेषण अर्न्तगत भौगोलिक स्थिति, क्षेत्र संवेदनशीलता, निवासरत परिवार, प्रभावित (संभावित) जनसंख्या विवरण तथा उपलब्ध संसाधन का डाटावेस रखा गया है।
- आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के पूर्व निर्धारण तथा सुनिश्चित क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना में जनपद/क्षेत्रवार नामित आपदा राहत प्रबन्धन समिति प्रमुख/सदस्य विवरण, नोडल विभागीय अधिकारी नाम/दूरभाष/कार्यदायित्व विवरण, विभाग/कार्यालय/फील्ड-स्तर कार्मिक विवरण, मानव व तकनीकी संसाधन विवरण, गठित अचल-राहतकार्य दल व सचल-त्वरित प्रतिवादन दल (सुरक्षित निकास दल/खोज-बचाव राहत दल गठन, स्वास्थ्य दल) विवरण, अस्थाई राहत शिविर हेतु सुरक्षित स्थान/भवन/शरणालय स्थापना व चिन्हीकरण, खाद्यान सामाग्री व आवश्यक दवाइयों का पूर्व-भण्डारण, राहत-शिविर स्थापना-संचालन योजना, खाद्यान व पेयजल आपूर्ति/वितरण कार्ययोजना निर्धारण, वैकल्पिक मार्ग चिन्हीकरण क्षतिग्रस्त अवसंरचना/आधारभूत सेवाओं का पुर्ननिर्माण/पुर्नस्थापना योजना व वैकल्पिक व्यवस्था आदि का विवरण कार्ययोजना में उल्लेखित है।
- आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपदा की प्रवृत्ति एवं उत्पन्न क्षति के आधार पर जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना में निहित निर्देशों के तहत राहत अभियान क्रियान्वयन अर्न्तगत विभागों/अधिकारियों हेतु निर्धारित राहत प्रबन्धन कार्य-नियोजन एवं दायित्व तथा प्रतिस्थापित सूचना विवरण का अनुसरण करके प्रभावित क्षेत्रों में आपदा राहत प्रतिवादन कार्ययोजना का निर्धारण तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

आपदा की स्थिति में प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र स्थापना [DEOC] कार्य:

- जनपद स्तर पर आपदा राहतकार्य प्रबन्धन हेतु जिला मुख्यालय में जनपद- आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अर्न्तगत 'आपातकालीन परिचालन केन्द्र' की स्थापना की गयी है तथा कार्य सम्पादन व केन्द्र के नियमित 24x7 संचालन हेतु कार्मिकों की नियुक्ति की गयी है।
- अतिवृष्टि के कारण जनपद क्षेत्रान्त उत्पन्न वृहत आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित व प्रभावी राहत प्रतिवादन कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु समस्त जनपद को निर्धारित तहसील-आपदा नियन्त्रण जोन में विभक्त किया गया है एवं 15 जून से 15 अक्टूबर 2013 तक समस्त तहसीलों में समान्तर 'तहसील-आपदा नियन्त्रण कक्ष' की स्थापना व कक्ष का '24x7' संचालन सुनिश्चित किया जायेगा। नियन्त्रण कक्ष से प्रभावित क्षेत्रों में क्षति सूचना का आदान प्रदान तथा राहत कार्य में सम्बन्ध कार्यवाही स्थापित किया जायेगा।

तहसील आपदा नियंत्रण कक्ष:

1. तहसील अल्मोड़ा 231951
 2. तहसील रानीखेत 05966-221376
 3. तहसील भनोली 05962-263075
 4. तहसील द्वाराहाट 05966-244860
 5. तहसील चौखुटिया 05966-246699
 6. तहसील जैती 05962-275649
 7. तहसील सल्ट 05966-238802
 8. तहसील सोमेश्वर 05962-243186 तथा
 9. तहसील भिकियासैण 05966-242025
- जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र प्रभावित क्षेत्रों में आपदा क्षति सूचना आदान-प्रदान तथा राहत कार्य में सम्बन्ध हेतु तहसील मुख्यालयों में स्थापित तहसील आपदा नियंत्रण कक्षों से व सचिवालय-देहरादून स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र से तथा नैनीताल स्थित आयुक्त कार्यालय से 24x7 सम्पर्क में रहेगा।
 - घटित आपदाओं से उत्पन्न आपातकालीन स्थितियों में राहत अभियान को सुगमता से सम्पन्न करने हेतु जिलाधिकारी के नेतृत्व व मार्गनिर्देशन में जनपद अर्न्तगत समस्त विभागीय अधिकारियों के सहयोग से जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में अविलम्ब '7-डैस्क केन्द्र व्यवस्था' [SEVEN-DESK SYSTEM]की स्थापना के साथ तत्काल राहतकार्य अभियान प्रारम्भ कर दिया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा पूर्व-नामित 7 डैस्क-नोडल अधिकारी (प्रशासनिक/विभागीय अधिकारी) एवं सहयोगी डैस्क स्टाफ का
 - सम्बन्धित डैस्क-कार्य अनुसार कार्यदायित्व पूर्व-निर्धारित किया गया है। संगठित राहतकार्य अभियान प्रबन्धन सम्बन्धी विभिन्न कार्य अर्न्तगत आपदा क्षति सूचना पर्यवेक्षण, मूल्यांकन, क्रियान्वयन, प्रबन्धन,

नियंत्रण एवं समन्वयन कार्य किया जायेगा। राहत अभियान संचालन, क्षतिग्रस्त अवसंरचना पुर्नस्थापना क्रिया, आधारभूत सेवाओं का पुर्ननिर्माण व क्षतिपूर्ति योजनाओं आदि वैकल्पिक कार्य व्यवस्था के सफल सम्पादन हेतु नामित डैस्क-नोडल अधिकारियों को आपात परिस्थितियों में 7-डैस्क संचालन एवं निहित कार्यदायित्व की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी गयी है।

- आपातकालीन परिचालन केन्द्र में त्वरित प्रतिवादन व प्रभावी राहत कार्य संचालन हेतु जनपद आपदा प्रतिवादन कार्ययोजना की प्रति, उपयुक्त मार्गदर्शन निर्देश, राहतकार्य क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण सर्म्पक सूचना, राहत संसाधन सामग्री, सूचना आदान-प्रदान हेतु आधुनिक संचार उपकरण, उत्पन्न क्षति, क्षतिपूर्ति व राहतकार्य क्रियान्वयन सम्बन्धी सूचना सम्पादन हेतु समुचित संख्या में तकनीकी व मानव संसाधन उपलब्ध रहेंगे। प्राप्त सूचना अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत प्रतिवादन कार्यवाही का निर्वहन आवश्यक होगा।

❖ आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियान एवं क्षतिपूर्ति कार्यों का विवरण इस प्रकार है:-

- प्रभावितों हेतु त्वरित आरंभिक खोज एवं बचाव सहायता एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करना।
- गम्भीर घायलों हेतु चिकित्सा व्यवस्था एवं जीवनरक्षक दवाओं की व्यवस्था/आपूर्ति।
- स्थाई शरणालयों का चयन तथा प्रबन्धन व्यवस्था व सुरक्षात्मक उपायों का निर्धारण।
- खाद्य, जल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति।
- राहत सामग्री का उचित वितरण।
- सफाई व स्वच्छता सुनिश्चित करना।
- क्षतिग्रस्त अवसंरचना का पुनर्निर्माण।
- समीक्षा तथा मूल्यांकन।
- पुर्नवास हेतु स्थान सामग्री, धन व तकनीकी मदद सुलभ करना।

❖ '7-DESK-SYSTEM' अर्न्तगत निर्धारित डैस्को का विवरण इस प्रकार है:-

1. स्थल कार्यालय: OPERATION DESK.
2. सेवा कार्यालय: SERVICES DESK.
3. ढांचागत कार्यालय: INFRASTRUCTURE DESK.
4. स्वास्थ्य कार्यालय: HEALTH DESK.
5. लौजिस्टिक कार्यालय: LOGISTIC DESK.
6. संचार कार्यालय: COMMUNICATION DESK.
7. संसाधन कार्यालय: RESOURCES DESK.

➤ नोडल डैस्क-अधिकारी/प्रभारी: जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में '7-डैस्क केन्द्र' की स्थापना व्यवस्था अर्न्तगत प्रत्येक डैस्क में पूर्व-नामांकित '01-नोडल डैस्क प्रभारी' (विभागीय/प्रशासनिक अधिकारी) द्वारा सम्बन्धित डैस्क-उत्तरदायित्व कार्यों का निर्धारण एवं संचालन किया जायेगा।

➤ 'राहत शिविर स्थापना': आपदा की प्रवृत्ति एवं उत्पन्न क्षति के आधार पर निर्भर होगा कि प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य संचालन हेतु कितने 'राहत शिविर', 'क्षेत्रीय-राहत कार्यस्थल कार्यालय' (SIGHT-OPERATION CENTRE), 'स्थानान्तरण कार्यशिविर' (TRANSIT-CAMP), 'स्वास्थ्य शिविर' एवं 'पोषण केन्द्र' (FEED-CAMP) स्थापित करने की आवश्यकता है।

➤ प्रभावित स्थल में एक सुविधाजनक स्थान से उक्त राहत कार्यस्थल केन्द्र तथा राहत शिविर की स्थापना हो सकती है।

➤ 7-डैस्क केन्द्र अर्न्तगत प्रत्येक डैस्क के उत्तरदायित्व तथा कार्यों का विवरण इस प्रकार हैरू

- जिला अधिकारी/जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी को राहत कार्यों में प्रबन्धन सहायता प्रदान करना।
- डैस्क के कार्यों का विभिन्न ईकाइयों के साथ बँटवारा एवं समन्वयन करना।
- समस्त प्राप्त एवं प्रेषित सूचना/संवादों को प्रपत्र के अनुसार एकत्रित, पूर्ण एवं व्यवस्थित रखना।

मानसून सीजन में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य अभियान संचालन अर्न्तगत जनपद मुख्यालय में 'सचल- त्वरित प्रतिवादन/खोज-बचाव दल' व समस्त तहसील मुख्यालयों में द्विस्तरीय 'राहतकार्य दल' एवं 'खोज-बचाव दल' गठित किया गया है:-

1. राहतकार्य समन्वय दल: प्रभावित तहसील क्षेत्रों में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में त्वरित राहत प्रतिवादन कार्यवाही निर्वहन तथा सुचारू क्रियान्वयन सूचना का आदान प्रदान एवं राहतकार्य में समन्वय स्थापित करेगा। दल में तहसील क्षेत्रार्न्तगत अवस्थित महत्वपूर्ण विभागीय/प्रभारी अधिकारी एवं कार्य मुख्यालय/फील्ड-स्तर तथा राजस्व कार्मिक सम्मिलित रहेंगे। इस दल के प्रभारी अधिकारी नायब तहसीलदार होंगे तथा उनके साथ प्रशिक्षित कार्यालय स्टाफ/मुख्यालय स्टाफ कार्य में सहयोग देगा। सामान्य दिनों में यह दल आपदा की रोकथाम के उपायों हेतु प्रयासरत रहेगा।

2. सचल- त्वरित प्रतिवादन दल में राहतकार्य विशेषज्ञ तथा खोज-बचाव में प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिक (राजस्व/होमगार्ड/पीओआरडी/पुलिस/रेडक्रास प्राथमिक-चिकित्सा प्रशिक्षित/स्वयं-सेवक) सम्मिलित होंगे। आपदा के दौरान यह दल ग्राम स्तर पर प्रभावित क्षेत्र में जाकर राहत व बचाव कार्य में मदद करेगा। दल तहसीलों को प्राप्त आपदा राहत संसाधनों व खोजबचाव उपकरणों से सुसज्जित रहेगा।

मानसून अवधि में आपदा न्यूनीकरण एवं नियंत्रण हेतु सम्यक कार्यकलाप

- ❖ जनपद अल्मोडा की बहुआपदा स्थितियों को देखते हुए जिलाधिकारी अल्मोडा की अध्यक्षता में गठित जिला आपदा प्रबन्धन समिति द्वारा मानसून अवधि के दौरान प्रभावी प्रतिवादन एवं राहत प्रबन्धन कार्य निर्धारण हेतु पूर्व तैयारी, जन सहयोग तथा पर्याप्त तकनीकी क्षमताओं एवं भौतिक संसाधनों का होना आपदा न्यूनीकरण एवं नियंत्रण हेतु आवश्यक है।
 - ❖ मानसून अवधि में जनपद स्तर पर विश्लेषित आपदा संकट, जोखिम विश्लेषण, न्यूनीकरण कार्य व आपदा प्रबन्धन कार्यकलाप निर्धारण के अनुरूप जनपद तहसील, विकासखण्ड, ग्राम स्तर तथा विभिन्न विभागों एवं निकाय स्तर पर निम्नलिखित कार्य निर्धारण किया गया है:-
1. भूस्खलन, त्वरित बाढ़, मार्ग दुर्घटना आदि मानसून आपदाओं के प्रति सक्रिय एवं संवेदनशील स्थलों का चिन्हीकरण करते हुए आपदा न्यूनीकरण एवं नियंत्रण व्यवस्थाओं का अनुप्रयोग किया गया है।
 2. जनपद, परगना व गांव स्तर पर आपदा पूर्व तैयारी, न्यूनीकरण, राहत प्रबन्धन, क्षमता विकास, चेतावनी सूचना, प्राथमिक चिकित्सा आदि विधाओं में प्रशिक्षण दिया गया है।
 3. आपदा पश्चात पुर्नवास कार्य तथा सामान्य स्थिति बहाल करने हेतु विभिन्न/स्थानीय स्तर पर व्यापक सामुदायिक व जन सहभागिता कार्य निर्धारण हेतु वृहद जनचेतना एवं जन जागरूकता अभियान, गोष्ठी आयोजन तथा अभ्यास कार्य प्रशिक्षण दिया गया है।
 4. विभिन्न स्तरों पर गठित स्थानीय आपदा प्रबन्धन समितियां, त्वरित कार्यवाही दल, राहत प्रतिवादन प्रशिक्षककार्यदल की सक्रियता एवं भूमिका की वृद्धि हेतु सकारात्मक प्रयास अर्न्तगत समय-समय पर विशेष प्रशिक्षण तथा रिशर कोर्स संचालित करने हेतु आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र देहरादून से समन्वय किया गया है।
 5. आपदा से पूर्व तैयारी एवं न्यूनीकरण प्रयासों द्वारा आपदाओं को नियंत्रण करने की संकल्पना को स्थानीय निकायों, विभागों संस्थानों को अभिप्रेरित किया गया है। सभी सरकारी विभागों, पंचायत राज, स्वैच्छिक संगठनों आदि को आपदा प्रबन्धन हेतु वृहद क्षमता विकसित करने हेतु सतत प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन किया गया है।
 6. जनपद के विभिन्न विभागों जैसे-पुलिस, चिकित्सा, राजस्व, सूचना, संरचनात्मक (लोक निर्माण/जल निगम/जल संस्थान/सिंचाई/विद्युत), कृषि एवं जलागम, खाद्य व जल आपूर्ति, प्रान्तीय रक्षक दल, शिक्षा आदि को आपदा न्यूनीकरण, संसाधन क्षमता विकास एवं विभागीय अनुक्रिया हेतु प्रशिक्षण दिया गया है।
 7. स्कूल/कॉलेज स्तर पर, शिक्षक एवं एनएसएस, एनसीसी, स्काउटिंग, विज्ञान क्लब, क्रीडा क्लब आदि के विद्यार्थियों की डिजास्टर मैनेजमेन्ट विंग बनाते हुए उन्हें स्कूल, कॉलेज, परिवार तथा समुदाय स्तर पर आपदा बचाव एवं सुरक्षात्मक क्रियाकलापों के प्रति विशेष आपदा न्यूनीकरण व बचाव सम्बन्धित जन जागरूकता अभियान आयोजन के तहत जानकारी दी जा रही है। सुलभ सार्वजनिक, जन-जागरण एवं जनचेतना कार्यक्रमों में आपदा प्रबन्धन विषय को सम्मिलित कर विद्यालय, कालेज, संस्थान (निजी व सरकारी) स्तर पर एवं मीडिया/जन-संचार माध्यम से आपदा सुरक्षा, क्षमता विकास प्रचार-प्रसार व विशेष प्रोत्साहन दिया गया है।
 8. समय-समय पर निर्माण कार्यों से सम्बन्धित जूनियर इन्जीनियर, अधिकारियों, राजमिस्त्री तथा निर्माणकर्ताओं को आपदा/भूकम्प सुरक्षित तकनीक निर्माण का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। सुरक्षात्मक तकनीक परिपालन हेतु विभागीय तथा संस्थागत स्तर पर अनुपालन, पर्यवेक्षण सुनिश्चित कराया गया है। आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी कार्यक्रमों एवं कार्ययोजनाओं को ग्राम स्तर पर विभिन्न विकास परक एवं विभागीय कार्यों से समन्वित करने हेतु सकारात्मक प्रयास किये गये हैं।

मानसून अवधि में आपदा स्थितियों में खतरे के दृष्टिगत पूर्व तैयारी का उपयुक्त स्तर बनाये रखने हेतु समयबद्ध कार्ययोजना निर्धारण के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्य किया गया है :-

- 1- सर्वाधिक प्रभावित हो सकने वाले क्षेत्र व भवन, सार्वजनिक परिसम्पत्तियां, अवसंरचनाओं, आवश्यक जन सेवाओं/सुविधाओं, महत्वपूर्ण सड़कों तथा पुलों का चिन्हांकन।
- 2- आपदा उपरान्त शरण स्थलों के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले भवनों, यथा-विद्यालय, पंचायत घर, सामुदायिक भवन/केन्द्र धर्मशाला आदि का चिन्हांकन एवं इन भवनों में आवश्यक सेवाओं यथा- खाद्यान्न, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, जल भण्डारण, शौचालय की स्थापना व व्यवस्था।

- 3- अस्थाई आश्रय स्थलों के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाली खुले स्थानों का चिन्हांकन व विवरण।
- 4- आश्रय स्थलों की स्थापना हेतु जनपद में टैंटों व अन्य की उपलब्धता की स्थिति व इनकी आपातकालीन व्यवस्था कर सकने में सक्षम सेवा प्रदाताएँ फर्मों व अन्य का चिन्हांकन।
- 5- अस्थाई आश्रम स्थलों में भोजन व अन्य सुविधाओं तथा दूरस्थ क्षेत्रों व राहत-बचाव कार्मिकों के लिये डिब्बा बन्द भोजन की आपातकालीन व्यवस्था कर सकने में सक्षम सेवा प्रदाता फर्मों व अन्य का चिन्हांकन।
- 6- शरण स्थल में अन्य व्यवस्थाएँ, यथा-विस्तर, खाना पकाने एवं परोसने के वर्तन एवं ईंधन सुनिश्चित करते हुए इनके संचालन हेतु प्रभारी अधिकारी का नामांकन।
- 7- प्रभावित क्षेत्र से जनसमुदाय की निकासी व उन्हें सुरक्षित शरणस्थलों तक लाने की व्यवस्था निर्धारण।
- 8- प्रभावित क्षेत्रों से घायलों की निकासी एवं उनके उपचार हेतु चिकित्सा योजना निर्मित की गई है जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित को समावेशित किया गया है:-
 - ✓ प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था।
 - ✓ गम्भीर घायलों का स्थानान्तरण।
 - ✓ स्ट्रेचर व रोगी वाहनों की व्यवस्था।
 - ✓ जीवन रक्षक व अन्य आवश्यक दवाओं की व्यवस्था।
 - ✓ चिकित्सा दलों का गठन।
 - ✓ क्षेत्रवार चिकित्सा सम्बन्धित कार्यों के लिये उत्तरदायित्व।
- 9- खोज एवं बचाव दलों का गठन।
 - ✓ जनपद में विभिन्न विभागों के प्रशिक्षित कार्मिकों का क्षेत्रवार विवरण तथा कार्यक्षेत्र निर्धारण।
 - ✓ प्रशिक्षित ग्रामवासियों, पूर्व सैन्य कर्मियों, होमगार्ड, प्रान्तीय रक्षक दल, ग्राम प्रहरी ग्रामवार विवरण व सम्पर्क सूत्र।
 - ✓ गांव स्तर पर उपलब्ध हो सकने वाले राहत संसाधन सामाग्री एवं उपकरणों का विवरण।
 - ✓ जनपद में पुलिस/राजस्व विभाग के पास उपलब्ध खोजबचाव उपकरण सूची व स्थिति (प्रशिक्षण/उपयोग पूर्वाभ्यास)
- 10- अग्नि सुरक्षा हेतु व्यवस्थाएँ व क्षेत्रवार उत्तरदायित्वों का निर्धारण।
- 11- खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं आपूर्ति व्यवस्था।
 - ✓ जनपद में अवस्थित खाद्य गोदामों की स्थिति, क्षमता व अन्य विवरण।
 - ✓ खाद्यान्न के अतिरिक्त ईंधन, शरण सामग्री प्रकाश हेतु व्यवस्था, वस्त्र एवं अन्य के क्रय हेतु योजना तथा त्वरित आपातकालीन आपूर्ति कर सकने में सक्षम फर्मों व अन्य का चिन्हांकन।
 - ✓ राहत व अन्य सामग्रियों के वितरण हेतु व्यवस्था एवं योजना।
- 12- आपातकालीन संचार व्यवस्था
 - ✓ दूरभाष केन्द्रों व मोबाईल टॉवरों का विवरण तथा संचार समन्वय।
 - ✓ सुदूरवर्ती क्षेत्रों से सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु प्रत्येक गांव का मोबाईल सम्पर्क सूत्र।
 - ✓ जनपद तहसील व ग्रामस्तरीय सरकारी कार्मिकों एवं ग्राम प्रधानों के मोबाईल सम्पर्क सूत्र।
- 13- आवश्यक सेवाओं यथा-पेयजल, विद्युत, सड़क, पुल दूरभाष/मोबाईल, चिकित्सा, पेयजल आपूर्ति की पुर्नस्थापना हेतु व्यवस्थाएँ व क्षेत्रवार उत्तरदायित्व।
- 14- पेयजल व्यवस्था बाधित स्थिति में आपातकालीन पेयजल व्यवस्था हेतु वैकल्पिक जल स्रोत चिन्हांकन।
- 15- प्रभावित क्षेत्रों से त्वरित सम्पर्क एवं घायलों/प्रभावितों की निकासी हेतु व्यवस्थाएँ।
 - ✓ वैकल्पिक सड़क व अन्य सम्पर्क मार्गों का चिन्हांकन व तद् सम्बन्धित योजना।
 - ✓ जनपद में अवस्थित विमान पत्तनों/हवाई पट्टियों व हेलीपैडों का विवरण (अक्षांस/देशान्तर सहित)।
 - ✓ प्रभावितों के हेलीकॉप्टर/विमानों द्वारा स्थानान्तरित किये जाने हेतु योजना ।
 - ✓ अस्थाई हेलीपैडों के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थानों का चिन्हांकन व विवरण (अक्षांस/देशान्तर सहित)।
- 16- पशुओं के लिये व्यवस्थाएँ।
 - ✓ अस्थाई गौशालाओं हेतु स्थान का चिन्हांकन।
 - ✓ चारे, पानी व अन्य की व्यवस्था।
 - ✓ पशुओं को सुरक्षित स्थानों में स्थानान्तरित किये जाने हेतु योजना।
 - ✓ घायल पशुओं की चिकित्सा हेतु व्यवस्थाएँ व क्षेत्रवार उत्तरदायित्वों का निर्धारण।
- 17- मृतकों व पशुओं के शवों के निस्तारण हेतु व्यवस्थाएँ।
 - ✓ मृतकों का पंचनामा व अन्य चिकित्सा-विधिक औपचारिकताओं हेतु क्षेत्रवार उत्तरदायित्वों का निर्धारण
 - ✓ पशुओं के शवों के निस्तारण हेतु व्यवस्थाएँ
- 18- आपदा सम्बन्धित सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान हेतु व्यवस्थाएँ।
 - ✓ आपदा प्रभावित क्षेत्र में सूचनाओं के एकत्रीकरण एवं प्रेषण हेतु व्यवस्थाएँ किये जाने हेतु क्षेत्रवार उत्तरदायित्वों का निर्धारण।
 - ✓ जनपद स्तर पर सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान हेतु व्यवस्थाएँ व उत्तरदायित्व।
 - ✓ आपदा प्रभावितों के परिजनों को सूचना प्रेषित किये जाने हेतु व्यवस्थाएँ।

